


क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद जौनपुर में लुम्बिनी-दुद्धी (भदोही-जौनपुर) मार्ग किमी० सं० 34.900 से 73.134 तक 4 लेन चौड़ीकरण व सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे० संरक्षित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी 131.224 हे० का 20 प्रतिशत अतिरिक्त 26.245 हे० अथवा कुल 157.50 हे० अवनत भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में कैमूर वन्य जीव प्रभाग के घोरावल रेंज के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सेमरा क०न० 2 में ए 10हे०, बी 10हे०, सी 25हे०, तेन्दुहार क०न० 5 में ए 12हे०, बी 10हे०, (कुल 67.00हे०) एवं राबर्टसगंज रेंज के अन्तर्गत डोमखरी-1 में 15हे०, रैपुरा-1 में 10हे०, रैपुरा-2 में 20हे०, रैपुरा-3 में 15हे०, राबर्टसगंज-3 में 5हे० (कुल 65.00 हे०) कुल 132.00हे० अवनत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है, जो वर्तमान में विवाद रहित एवं अतिक्रमणमुक्त है।


 (आशुतोष जायसवाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।